Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 10 | OCTOBER 2023

भारत में पंचायती राज प्रणाली विकास का विष्लेशणात्मक अध्ययन

डॉ. रामदीन कड़ेला [1]

[1] प्राचार्य श्री आई जी महाविद्यालय बिलाड़ा (जोधपुर).

ABSTRACT:

-

KEYWORDS:

-

प्रस्तावना –

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ हैं। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पंचायती राज व्यवस्था का मूलभूत लक्ष्य यही है कि गांवों से पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसे समतामूलक समाज की रचना की जाए जिसमें असमानता, अन्याय व शोषण की लकीरें विद्यमान न हों। आज विश्व के अनेक देशों में पंचायत राज प्रणाली किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारत में प्राचीनकाल से ही पंचायतों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। पंचायतें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें प्रशासनिक एवं सत्ता के अधिकारों को केन्द्र से गॉवों को हस्तान्तरित किया जाता है। स्थानीय जनजीवन की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर जितना अच्छी तरह से किया जा सकता है, उतना अन्य किसी तरह से संभव नहीं है। सर चार्ल्स मैटकाफ ने भारत के आत्मनिर्भर गॉवों को 'लघु गणराज्य' का नाम दिया है। भारत में स्थापित पंचायती राज व्यवस्था किसी एक महानुभाव या फिर किसी एक काल विशेष की उपज नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्गम और विकास बहती हुई नदी की धारा के समान अविरल रूप से वैदिककाल से लेकर आज तक निरन्तर जारी है। विकास की इस प्रकिया के अनेक विराम स्थल तो है ही, साथ ही प्रगति पथ पर बढ़ने वाले अनेक कदमों के निशान भी मिलते है। पंचायती राज के विकास कम में प्राचीनकाल में एक स्वर्णिम लहर दिखाई देती है। प्राचीनकाल के बाद मध्यकाल में सल्तनतकाल एवं मुगलकाल में इसके पदचिह्न दिखाई देते है। ब्रिटिशकाल में भी 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना से इसकी शुरूआत पुनः दिखाई देती है, जो आधुनिककाल की पचायती राज व्यवस्था का पूर्व संकेत देती है। ब्रिटिश भारत में अनेक अधिनियमों के द्वारा पंचायतों से संबंधित प्रावधान उतरोत्तर किए गए। लार्ड रिपन को तो 'भारत में स्वायत शासन का जनक' माना जाता है। भारत शासन अधिनियम,1935 के द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता की स्थापना के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते है। भारत में प्राचीन काल से लेकर अब तक पंचायतों का एक लम्बा इतिहास रहा है। इसी कालकम की कड़ी में प्राचीनकाल, मध्यकाल, ब्रिटिशकाल एवं आधुनिक काल आते है। मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में पंचायतों का जो विकास कम दिखाई देता है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस पर वर्तमान की पंचायत प्रणाली का स्वरूप टिका हुआ है।

मध्यकाल –

मध्यकाल की शुरूआत सल्तनत काल से मानी जाती है। सल्तनत काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी। सल्तनत काल में सन् 1206 के कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की स्थापना से लेकर सन् 1526 तक इब्राहिम लोदी के शासन की समाप्ति तक के दौर में भारतीय समाज 'तुर्की' एवं 'अरबी भाषा' तथा शरियत के प्रभाव से युक्त माना जाता है। इस समय दिल्ली सल्तनत प्रांत, परगना तथा गॉव में विभाजित थी। उस समय ग्राम में मुख्य रूप से तीन पदाधिकारी मौजूद थे– लम्बरदार, चौकीदार तथा पटवारी। ग्राम का संगठन मुस्लिम काल के दौरान भी यथावत् रहा । मुगलकालीन शासन व्यवस्था में मौर्यकाल एवं गप्तकाल की स्वशासी निकायें अभी भी स्वस्थ एवं कियाशील थी। मुगलकाल में स्थानीय शासन सुचारू रूप से संचालित किया जाता था। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन–ए–अकबरी में नगरीय जीवन और प्रशासन का समुचित वर्णन किया है। नगर का प्रशासन जिस पदाधिकारी के जिम्में होता था उसे कोतवाल के नाम से संबोधित किया जाता था जिसे दण्ड व्यवस्था पुलिस प्रशासन तथा वितिय मामलों में सर्वोपरि सत्ता प्राप्त होती थी तथा उत्पादन, कय–विकय, जल व्यवस्था, विदेशी नागरिकों गतिविधियेां को नियंत्रित करना, करारोपण तथा अन्य कार्यो को सम्पादित करने का अधिकार प्राप्त था। एस.वी.सामन्त का मुस्लिम काल में पंचायतों के न्यायिक पहलू पर मत है कि गांव की सभाएं मुस्लिम काल में राज्य का समर्थन रखती थी क्योंकि –हम देखते है कि मुस्लिम शासकों के काल में, जब मुस्लिम हित अन्तर्व्यापत रहते थे, शासकों के द्वारा पंचायतों के निर्णय को लागू किया जाता था। यह एक ऐसा प्रमाण है, जो यह सिद्ध करता है कि राज्य की शक्ति हमेशा गांव की सभा में निहित थी। मुगलकाल में गॉव स्तर पर मुख्य रूप से चार अधिकारी रहते थे– मुकदम, पटवारी, चौधरी तथा चौकीदार। इनमें से चौधरी पंचां की सहायता से झगड़ों का निपटारा करता था। मुगलकाल में जाति पंचायतें अपनी पैठ जमाने लग गई थी। मुगल काल में 'पंचकुल' नाम की पंचायत की परम्परा अक्षुण्ण थी । स्थानीय पुलिस प्रशासन व राजस्व प्रशासन में भी पंचकुल के अधीन होते थे। मंदिरों की व्यवस्था 'गोष्ठिक लोग करते थे। जो प्रायः पंचकुलों की देखरेख मे कार्य करते थे। जाति की पंचायतों और उनके फैसले का दृश्य तो आज भी हमें कहीं–कही देखने को मिलता है। कर संग्रह का कार्य मंडपिकाएं करती थी, जिन्हें मांडवी कहा जाता था। ये भी पंचकुल की देखरेख में रहती थी। मराठाकाल के अनेक दस्तावेजों से ज्ञात होता हैं कि शिवाजी, राजाराम और शाहू आदि के पास जो मामले सीधे लाये जाते थे, उन्हें वे स्वयं न सुनकर ग्राम पंचायत के पास भेज दिया करते थे।

ब्रिटिशकाल –

भारत में ब्रिटिश काल की शुरूआत सन् 1600 से मानी जाती है, जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में प्रवेश किया। ग्रामों की स्वायतता तथा स्थानीय प्रशाससनिक संस्थाओं की अजस्त्र धारा 18वीं सदी के मध्य तक आते आते प्रायः समाप्त हो गई थी। इस संबंध में में प्रमुख कारण प्रारम्भ में अंग्रेज शासकों ने पंचायतों को नकारा, क्योंकि उनको इन संस्थाओं के महत्व का ज्ञान नहीं था, किन्तु कालान्तर में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व की अनुभूति होने पर उन्होंने स्वयं इन संस्थाओं का शक्तिरशााली बनाने का प्रयास किया । इसलिए ब्रिटिश काल के अन्तर्गत स्थानीय शासन का श्रेष्ठ विवरण मिलता है। स्थानीय शासन की इकाईयों को निर्वाचित रूप देना, उसे करारोपण की शक्ति प्रदान करना, और प्रजातंत्र की पाठशाला के रूप में विकसित करने का कार्य ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल की स्थानीय शासन व्यवस्था पर पश्चिमी प्रभाव दिखाई देता है। इस काल मे नगरीय स्थानीय स्वशासन पर ज्यादा जोर दिया गया था। फलस्वरूप 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसलिए ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ 1687 ईस्वी से माना जा सकता है। मद्रास नगर निगम में तीन पदाधिकारी थे–महापौर, एल्डरमैन तथा एक नगर पतिनिधि । इन्हें कुछ कर लगाने का अधिकार दिया गया था। 1773 ईस्वीं में रेग्युलेटिंग एक्ट के अर्न्तगत प्रेसीडेन्सी नगरों में 'जस्टिस ऑफ पीस ' की नियुक्तियां की गई जिन्हें नगर निगम सफाई व स्वास्थ्य की देखभाल का उत्तरदायित्व दिया गया था। 1793 ईस्वीं के चार्टर एक्ट क तहत मद्रास, बम्बई एवं कलकता में नगरीय प्रशासन की स्थापना की गई । 1793 ईस्वीं में चार्टर एक्ट के माध्यम से ही इन प्रेसीडेन्सी शहरों में नगरीय प्रशासन स्थापित करने की शक्तियां गर्वनर जनरल को दी गई थी। 1814 ईसवीं में समस्त बडे नगरों में वार्ड समितियों का गठन किया था। जिसमें समस्त मकान मालिकों को सदस्य बनाया जाता था। इन समितियों का उत्तरदायितव यह था कि वे चौकीदार के वेतन के लिए कर के माध्यम से धन एकत्रित करें। बंगाल पीपुल एक्ट,1842 के माध्यम से कई नगरों में नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की गई । 1870 इस्वीं में स्थानीय स्वायत शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई, इस वर्ष लॉर्ड मेयों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव मे यह बल दिया गया कि भारतीयों को प्रशासनिक कार्यो में अधिकतम सहभागिता देने की दृष्टि से नगरीय स्थानीय प्रशासन का विकास किया जाये।1880 ईस्वीं में लिटन स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित दुर्भिक्ष आयोग ने रेखांकित किया कि ग्राम स्तर पर सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था के बिना प्राकृतिक आपदाओं से सामना करना कठिन कार्य है। ब्रिटिशकाल में स्थानीय स्वशासन के विचार का सर्वाधिक बल लार्ड रिपन की उदारवादी नीतियों के फलस्वरूप ही मिला । 18मई,1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखण्ड अथवा ताल्लुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को 'स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। लार्ड रिपन को ''भारत में स्वायत शासन की संस्थाओं का जनक'' माना जाता है। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव में निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था, जिनके कारण भारत में स्थानीय शासन को अनुप्राणित एवं पथ–प्रदर्शन किया–

1 स्थानीय निकायों में अधिकतर गैर –सरकारी और अध्यक्ष होने चाहिए।

2 स्थानीय निकायों पर राज्य का नियंत्रण अप्रत्यक्ष होना चाहिए, न कि प्रत्यक्ष।

3 इन निकायों के पास अपने कार्यकलाप को पूरा करने के लिए समुचित वित्तीय साधन होने चाहिए। इसके लिए स्थानीय राजस्व के कुछ साधन स्थानीय निकायों को उपलब्ध करा दियें जायें और उन्हें प्रान्तीय बजट से समुचित अनुदान मिलते रहे।

4 स्थानीय शासन के कर्मचारी वृंद स्थानीय निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत काम करें। सरकार के वे कर्मचारी स्थानीय शासन के काम के लिए भेजे जायें उन्हें स्थानीय शासन का नौकर समझा जाये और वे उसी के नियंत्रण में रहे।

5 1882 के प्रस्ताव की व्याख्या प्रान्तीय सरकारें प्रांतों मे विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करें।

लार्ड रिपन के प्रस्ताव के चलते 1883–1885 के दौरान विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए तथा इसके बाद हमारे राष्टोय नेताओं ने स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम पंचायतों के लिए कई आन्दोलन किए। 1882 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था , '' स्थानीय स्वशासन की रियायत राष्ट्रीय स्वशासन की बजाय, जैसाकि मैं आशा करने का साहस करता हूं, साम्राज्यीय स्वशासन की प्रस्तावना है।''ये अजीब संयोग की बात है कि लार्ड रिपन अपने कार्यकाल में अपने प्रस्ताव को मूर्त रूप नही दे पाया। 1899 ईस्वीं में वायसराय की गद्दी पर बैठा लॉर्ड कर्जन ने स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। लार्ड कर्जन भारतीयों को इस योग्य नहीं समझता था कि उन्हें स्वशासन के नाम पर कुछ अधिकार दिये जाये। 1900 ईस्वीं में कलकता नगर निगम अधिनियम में संशोधन कर भारतीय प्रतिनिधियों की शक्तियों में कमी करने वाला भी लॉर्ड कर्जन ही था। स्थानीय स्वायतशासी संस्थाओं की स्थिति की जॉच करने करने के लिए 1907ईसवीं में सी.ई.एच. हाबहाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेन्द्रीकरण आयोग (शाही आयेाग) का गठन किया गया। हाबहाउस की अध्यक्षता में बने इस रॉयल कमीशन ने 1909 ईस्वीं में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने मुख्यतः लार्ड रिपन के प्रस्तावें का ही अध्ययन किया था। ऐसा माना जाता है कि संवैधानिक महत्व के किसी दस्तावेज में 'पंचायत' शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसी आयोग की रिपोर्ट में हुआ था। इसी आयोग ने सर्वप्रथम पंचायत समिति जैसा निकाय बनाने का सुझाव दिया था और ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की बुनियादी इकाई माना था। इसो आयोग ने विकास आयुक्त का पद सृजित करने की सिफारिश भी की थीं इस रिपोर्ट में पंचायतों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें वित्तीय अधिकार देने की अनुशंसा भी की थी। रॉयल कमीशन की प्रमुख सिफारिशें निम्न थी–

1 ग्राम स्थानीय स्वशासन की इकाई मानी जाए तथा प्रत्येक ग्राम में पंचायत तथा नगरों में नगरपालिका का निर्माण किया जाये।

2 स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो।

3 नगरपालिका अपना अध्यक्ष चुने, परन्तु जिलाधीश स्थानीय जिला परिषद का अध्यक्ष बना रहेगा।

4 स्थानीय निकायों को कर निर्धारित करने की सत्ता प्राप्त हो तथा कुछ धनराशि हो ताकि बजट बना सके।

5 स्थानीय निकायों पर बाहरी नियंत्रण केवल परामर्श, सुझाव तथा लेखा परीक्षण तक सीमित हो।

6 स्थानीय निकाय के कर्मचारियों ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय निकायों का हौ।

7 स्थानीय निकायों की ऋण लेने की शक्ति पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो।

8 प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायितव नगरपालिकाओं पर होगा तथा वित्तीय साधन अधिक हो तो माध्यमिक विधालयों पर भी खर्च किया जा सकता है।

1910 ईस्वीं में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर शिथिल हो रही पंचायतों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत शासन का विभाग प्रांतीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियियों के अधीन आ जाने से उत्तरदायी बना दिया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन का विषय भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर पूर्ण रूप से प्रांतीय सरकारेां की अधिकार सीमा में आ गया। अब इस स्थिति में प्रत्येक प्रांत पंचायतेां, जिला बोर्डो अथवा नगरपालिकाओं के लिए पृथक अधिनियम बनाने के लिए स्वतंत्र था। इस अधिनियम के फलस्वरूप बंगाल में स्थानीय अधिनियम,1919 मद्रास में स्थानीय सरकार अधिनियम1920, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम,1920,

उत्तरप्रदेश पंचायत एक्ट 1920, पंजाब पंचायत अधिनियम 1922, मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 आदि अस्तित्व में आयें।

इस काल में इन संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण से उनकी प्रशासकीय कार्य कुशलता के स्तर में एक ओर जहॉ कमी आई वही भावनाओं के कारण इन संस्थाओं की सामान्य छवि भी अच्छी नहीं बन सकी। स्थानीय स्वायत संस्थाएं कर लगाने में असफल रहीं और यहॉ तक कि स्थानीय राजनीति के प्रभाव से साम्प्रदायिक शक्तियॉ भी अवांछित रूप से सकिय हो गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता की स्थापना की गई, जिसके कारण इन संस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ा। स्थानीय संस्थाएं अब केवल प्रायोगिक संस्थाएं नहीं रही अपितु उन्हें स्वायत शासन की इकाइयां बनाने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ हुआ। इस काल में चेन्नई में 1930 और 1933 में दो महत्वपूर्ण अधिनियम बने, फलस्वरूप जिला बोर्ड के कार्यो को विस्तार प्रदान किया गया। जिला बोर्ड के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया और जिलाधीश को जिला बोर्ड प्रमुख का कार्यकारी नियुक्त किया गया। ऐसा कर दिये जाने से जिला बोर्ड मात्र परामर्शदात्री संस्थान रहकर एक प्रमुख प्रशासकीय संस्था बन गए।

इस प्रकार से देखा जाये तो पंचायती राज प्रणाली मध्यकाल में वैदिक काल से श्रेष्ठ नही कही जा सकती है, परन्तु इसने पूर्व से चली आ रही परम्परा का निर्वाह अवश्य किया। मध्यकाल में राजशाही के कारण आमजन का प्रशासन में हिस्सा बहुत कम था। फिर भी स्थानीय स्तर पर पंचायतें किसी न किसी रूप में देश के अनेक हिस्सों में प्रचलित थी। जिसका विवरण हमें मध्यकाल के साहित्यिक ग्रंथों से पता चलता है। मध्यकाल के पश्चात् ब्रिटिशकाल में पंचायतों का स्वरूप विकसित हुआ, उसी की तर्ज पर वर्तमान काल की पंचायती राज की अवधारणा की नींव रखी गई। 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना इसका प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। ब्रिटिश काल में पंचायतों पर भारतीय के बजाय पाश्चात्य परम्परा का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ब्रिटिश काल में हुए लार्ड रिपन को ही आधुनिक पंचायत राज प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। इस काल में अनेक आयोगों का गठन किया गया, जिनके परिणाम स्वरूप पंचायतों का एक नवीन रूप हमारे समक्ष आया। इस प्रकार से देखा जाये तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा, कि आज की पंचायती राज की अवधारणा ब्रिटिश काल में हुए अनेक प्रयासों का प्रतिफल है।

REFERENCES

1. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं-अतीत,वर्तमान और भविष्य, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, जयपुर-नई दिल्ली, 2006 पेज 4-5
2. वर्मा, अंषु, सरगुजा जिले में ग्राम पंचायतें एवं ग्रामीण विकास-एक आर्थिक अध्ययन, पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय रायपुर, 2013 पेज 53
3. कुंपावत, गिरधारी सिंह, पंचायती राज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान संरचना, हिमांषु पब्लिकेषंस, उदयपुर-नई दिल्ली, 2004 पेज 33
4. वर्मा, अंषु, सरगुजा जिले में ग्राम पंचायतें एवं ग्रामीण विकास-एक आर्थिक अध्ययन, पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय रायपुर, 2013 पेज 53
5. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं-अतीत,वर्तमान और भविष्य, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, जयपुर-नई दिल्ली, 2006 पेज 5
6. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विष्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 115
7. सम्पादक मंडल, पंचायत राज अवधारणाः एक विहंगम दृष्टि, कुरूक्षेत्र मासिक अगस्त 2006 पेज 14
8. वर्मा, अंषु, सरगुजा जिले में ग्राम पंचायतें एवं ग्रामीण विकास-एक आर्थिक अध्ययन, पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय रायपुर, 2013 पेज 54
9. शर्मा, अर्चना, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिताः दौसा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन, राजस्थान विष्वविद्यालय जयपुर, 2013 पेज 116
10. कुंपावत, गिरधारी सिंह, पंचायती राज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान संरचना, हिमांषु पब्लिकेषंस, उदयपुर-नई दिल्ली, 2004 पेज 33
11. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध जयपुर, 2006 पेज 14
12. ओझा, षिवकुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, बौद्धिक प्रकाषन इलाहाबाद, 2016 पेज 252
13. माहेष्वरी, श्रीराम, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 2013-14 पेज 28
14. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध जयपुर, 2006 पेज 14
15. ओझा, षिवकुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, बौद्धिक प्रकाषन इलाहाबाद, 2016 पेज 252
16. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं-अतीत,वर्तमान और भविष्य, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, जयपुर-नई दिल्ली, 2006 पेज 6-7
17. कुंपावत, गिरधारी सिंह, पंचायती राज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं वर्तमान संरचना, हिमांषु पब्लिकेषंस, उदयपुर-नई दिल्ली, 2004 पेज 34
18. कटारिया, सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं-अतीत,वर्तमान और भविष्य, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, जयपुर-नई दिल्ली, 2006 पेज 7